



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1361]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2009/भाद्र 10, 1931

No. 1361]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2009/BHADRA 10, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2009

का.आ. 2213(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 तथा 3ए के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा संख्या का.आ. 2482(अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 में प्रकाशित, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, पैराग्राफ 4.0 में, मद बारह में, "दस दिनों की अधिकतम संगरोध अवधि" शब्दों के स्थान पर "पांच दिनों की संगरोध अवधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[फा. सं. 35029/8/2009-मा. (ट्रेड)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 2482(अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2009

S.O. 2213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published *vide* number S.O. 2482(E), dated the 15th October, 2008, in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th October, 2008, namely :—

In the said notification, in the Schedule, in paragraph 4.0, in item twelve, for the words "A maximum quarantine period of ten days", the words "A quarantine period of five days" shall be substituted.

[F. No. 35029/8/2009-Fy. (Trade)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* No. S.O. 2482 (E), dated the 15th October, 2008 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th October, 2008.